न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 60/2020
श्रीमती सुनीता स्त्री सुनील कुमार, जाति जाट, निवासी मालुपुरा, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी मालुपुरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2019 बअदालत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) झुंझुनूं विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र, झुंझुनूं

उपस्थित
1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री [illegible] कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 12.04.2021

प्रस्तुत [illegible] अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) झुंझुनूं के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थिया/अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थिया/अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी है। प्रार्थिया/अपीलान्ट के अपने पति अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से एक पुत्री कुमारी चित्रासी है जिसकी जन्म तिथि दिनांक 11.05.2010 है। प्रार्थिया/अपीलान्ट व उसकी पुत्री कुमारी चित्राक्षी का नाम प्रार्थिया/अपीलान्ट के आधार कार्ड में प्रार्थिया/अपीलान्ट के पति का नाम निवासी मालुपुरा दर्ज है। प्रार्थिया/अपीलान्ट का भारतीय स्टेट बैंक शाखा [illegible] में बचत खाता है जिसमे न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 31.01.18 को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के वेतन मे से 10,000/–रूपये बतौर [illegible] जमा करवाये गये हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झुंझुनूं (027) की क्रम संख्या [illegible] पति [illegible] पत्नी अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की बाल बच्चेदार विवाहित पत्नी होना [illegible] है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

नम्बर 1 ने प्रार्थिया/अपीलान्ट के साथ उसकी शादी के अस्तित्व में रहते हुये व एक बच्ची का पिता होते हुये किसी अन्य औरत मु0मनोज का नाम बतौर अपनी पत्नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू में जुड़वाने की कार्यवाही कर गलत रूप से उक्त मु0मनोज का नाम बतौर पत्नी जुड़वा दिया जबकि उक्त मु0मनोज पहले श्री महावीर सिंह निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं की पत्नी है जिसने उक्त महावीर सिंह से तलाक भी नही लिया है। उक्त महावीर सिंह ने अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा बिना तलाक शादी किये जाने पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उक्त मु0मनोज के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट झुनझुनवाटी (झुंझुनूं) में इस्तगासा किया जिस पर कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 व मनोज देवी के विरूद्ध धारा 494 भा0द0स0 के तहत प्रसंज्ञान दिनांक 11.7.2016 को लिया जाकर कार्यवाही लम्बित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 की मु0 मनोज के साथ शादी तथा अवैध है। प्रार्थिया/अपीलान्ट को अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू (राज) में मु0मनोज का नाम जुड़वाये जाने के तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने दिनांक ...2017 को श्रीमान जी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू की नामावली निर्वाचन नामावली 2 से श्रीमती मनोज का नाम हटाये जाने का निवेदन किये जाने पर श्रीमानजी ने रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 को इस आशय का आदेश किया। परन्तु रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 ने जब कोई कार्यवाही नहीं की तो प्रार्थिया ने पुनः दिनांक 30.10.17 को श्रीमानजी को प्रार्थना पत्र दिया जाने पर श्रीमान जी के द्वारा पुनः आदेश दिये जाने पर दिनाक 10.1.2018 को कार्यवाही कर अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 को नोटिस दिये जाने के बावजूद व पर्याप्त तामील के बावजूद अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 द्वारा कोई जबाबदेही पेश नहीं की जाना व न कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जाना रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 द्वारा आदेश दिनांक 20.2.2018 में अंकित किया गया है। उक्त समस्त परिस्थितियों के बावजूद रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रार्थिया व रेस्पोंडेन्ट नम्बर 2 का निस्तारण किया जाना बतलाते हुये विधिविरूद्ध अपना आदेश दिया है जिससे व्यथित होकर प्रार्थिया/अपीलान्ट की ओर से अपील उनवानी श्रीमती सुनिता बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वगैरह अपील नम्बर 28/18 न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जो दिनांक 16.4.2018 को न्यायालय श्रीमान द्वारा स्वीकार की जाकर पूर्व के आदेश दिनांक 20.2.2018 को अपास्त किया जाकर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुये अभिमत स्पष्ट अंकित करते हुये पुनः निस्तारण करने हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित की जिस पर रेस्पोंडेन्ट नम्बर 2 ने उभय पक्षकारान को नोटिस दिये जाने पर अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ न अपनी ओर से अपना कोई पक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थिया/अपिलांट ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया कि अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने बाला बाला कार्यवाही कर प्रार्थिया के साथ शादी से तलाक की एक पक्षीय डिक्री पारित करवाली तथा प्रार्थिया को इसकी जानकारी होने पर प्रार्थिया ने कार्यवाही कर अप्रार्थी नम्बर 1 के हक में हक में पारित की गई एक पक्षीय डिक्री को स्थगित किये जाने का आदेश पारित करवाकर दूसरी शादी करने से रुकवा दिया तथा सक्षम न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नम्बर 1 के हक में पारित एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कर बाद में अप्रार्थी नम्बर 1 का तलाक पीटिशन भी निरस्त किये जाने का निर्णय दिया। इस प्रकार प्रार्थिया/अपीलांट रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1/अप्रार्थी की विवाहित पत्नी है तथा प्रार्थिया व अप्रार्थी के बीच पति-पत्नी का रिश्ता बरकरार है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने प्रकरण की उक्त समस्त परिस्थितियों व कानून की सुस्थापित व्यवस्था पर कोई गौर न करते हुये मनोज कुमारी का नाम निर्वाचन नामावली में अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 की पत्नी जोड़े जाने को विधिसम्मत मानते हुये प्रार्थिया/अपिलांट की ओर से नाम हटाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को विलोपित किया है। जब उक्त अनुसार पारिवारिक न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त पहले से शादीशुदा होने के बावजुद उक्त मनोज कुमारी से दूसरी शादी [illegible] ग्राम पंचायत में सांठ–गांठ कर शादी को फैक रजिस्ट्रेशन करवा लिया तथा उसे व [illegible] की डिक्री का गलत आधार बताकर विधानसभा निर्वाचन नामावली में उक्त मनोज कुमारी [illegible] के रूप में दर्ज करवा लिया जाना पत्रावली पर से अवैध प्रमाणित होता है। [illegible] व अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 स्वीकृत रूप से हिन्दू है तथा हिन्दू विवाह अधिनियम विधि [illegible] अनुसार ही आचरण करने को बाध्य है। हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत जब हिन्दु [illegible] जब तक शादी का बन्धन कायम रहता है तब तक पति–पत्नी में से कोई भी दूसरी [illegible] तथा यदि ऐसा करता है तो यह धारा 494 आई0पी0सी0 के तहत दण्डनीय अपराध [illegible] प्रकरण में भी हुआ है। पारिवारिक न्यायालय झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 07.03.2018 इस [illegible] सक्षम न्यायालय का निर्णय है जिसकी अनदेखी किन्ही भी परिस्थितियों में जानते हुये [illegible]। इसके बावजुद अदालत मातहत ने जैसा कि उसके द्वारा दिये गये आलोच्य आदेश से [illegible] अदालत मातहत ने बूथ लेवल अधिकारी भाग संख्या 111 राजकीय उच्च प्राथमिक [illegible] से जांच रिपोर्ट प्राप्त किया जाना बताया है कि अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने तलाक के [illegible] दिनांक 01.05.2015 मनोज कुमारी के साथ किये जाने के आधार पर मालुपुरा में रहना व [illegible] 2013 से मालुपुरा ने नहीं रहना बतलाते जाने के आधार पर मनोज कुमारी का नाम [illegible] नम्बर 1 की पत्नी के रूप में जोड़ जोनें को विधि सम्मत कानून के विपरीत मानते हुये [illegible] दिया है। इसके अलावा किसी के अवैध रूप से किसी व्यक्ति के साथ रहने से व इन [illegible] पैदा हो जाने के आधार पर किसी को किसी की पत्नी होने का दर्जा नही दिया जा [illegible] से इस प्रकार के सम्बन्धों को अवैध सम्बन्ध व उसके फलस्वरूप हुई किसी सन्तान को [illegible] का ही दर्जा दिया जा सकता है। कानून की उक्त परिस्थितियो पर बिना गौर किये [illegible] की डिक्री व निर्णय दिनांक 7.3.2018 की जानबूझकर अनदेखी करते हुये अपना आदेश [illegible] है। उक्त अनुसार अदालत मातहत ने बूथ लेवल भाग संख्या 111 को आधार बनाकर [illegible] दिया है जबकि अदालत मातहत को कानून व नियमों की पालना करते हुये व विवाद [illegible] न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.03.2018 की पालना करते हुये कथित उक्त [illegible] स्थगन पर प्रार्थिया/अपीलान्ट का नाम निर्वाचन नामावली में अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 [illegible] दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना चाहिये था। परन्तु अदालत मातहत ने निर्णय व [illegible] 3.2018 की जानबूझकर अवहेलना करते हुये अपना आदेश विधि व नियम विरूद्ध दिया [illegible] एक पक्षीय तलाक की डिक्री के आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने अपने सेवा [illegible] बल के रिकार्ड में भी प्रार्थिया/अपीलान्ट के बजाय उक्त मनोज कुमारी का नाम बतौर [illegible] लिया था। प्रार्थिया/अपीलांट ने पारिवारिक न्यायालय, झुंझुनूं के निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] नकल अप्रार्थी के विभागीय अधिकारियों को भिजवाकर स्थिति से अवगत करवाया जिस पर [illegible] को विभाग ने प्रार्थिया को उसके द्वारा मांगी गई सूचना भी भिजवाई जिसके अनुसार [illegible]/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की पत्नी व उसकी पुत्री चित्राक्षी होना दर्ज है। विभाग द्वारा [illegible] नम्बर 1 द्वारा मनोज कुमारी से पहली शादी के अस्तित्व में रहते दूसरी शादी उक्त [illegible] के साथ किये जाने के आधार जांच किये जाने के बाद आदेश संख्या E-I/PF/S.K/57TH [illegible]/7975-90 दिनांक 20.05.2019 के द्वारा अप्रार्थी/[illegible] 1 को उसकी सेवा से [illegible] कर दिया। उक्त समस्त तथ्यो के पत्रावली [illegible] अदालत मातहत ने [illegible] दिनांक 20.12.2019 विधि व नियम विरूद्ध [illegible] अतः अपीलांट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का आदेश दिनांक 20.12.2019 [illegible] फरमाया जावे व निर्वाचन नामावली विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू (027) से मु0मनोज का नाम बतौर [illegible] सुनील कुमार हटाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों [illegible] की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया/अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/अप्रार्थी की विवाहिता [illegible] प्रार्थिया/अपीलान्ट के अपने पति अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से एक पुत्री कुमारी चित्रासी है। [illegible] अपीलान्ट व उसकी पुत्री कुमारी चित्राक्षी का नाम प्रार्थिया/अपीलान्ट के आधार कार्ड में [illegible] अपीलान्ट के पति का नाम निवासी मालुपुरा दर्ज है। प्रार्थिया/अपीलान्ट का भारतीय स्टेट बैंक [illegible] में बचत खाता है जिसमे न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 31.01.18 को [illegible] रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के वेतन मे से 10,000/–रूपये बतौर भरण पोषण जमा करवाये गये हैं। [illegible] निर्वाचन क्षेत्र, झुंझुनूं (027) की क्रम संख्या 260 पर प्रार्थिया/अपीलान्ट का नाम बतौर पत्नी [illegible] रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की बाल बच्चेदार विवाहित पत्नी होना प्रमाणित होता है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट [illegible] ने प्रार्थिया/अपीलान्ट के साथ उसकी शादी के अस्तित्व में रहते हुये व एक बच्ची का पिता होते [illegible] किसी अन्य औरत मु0मनोज का नाम बतौर अपनी पत्नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू गलत रूप से [illegible] लिया है जो अवैध है। प्रार्थिया/अपीलांट व अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 स्वीकृत रूप से हिन्दू है [illegible] हिन्दू विवाह अधिनियम विधि के प्रावधानों के अनुसार ही आचरण करने को बाध्य है। अदालत मातहत [illegible] अधिकारी भाग संख्या 111 राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मालुपुरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त [illegible] बताया है कि अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने तलाक के बाद दूसरी शादी दिनांक 01.05.2015 [illegible] कुमारी के साथ किये जाने के आधार पर मालुपुरा में रहना व सुनिता सन 2013 से मालुपुरा ने नहीं [illegible] जाने के आधार पर मनोज कुमारी का नाम अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की पत्नी के रूप में [illegible] को विधि सम्मत कानून के विपरीत मानते हुये निराधार आदेश दिया है। इसके अलावा किसी के [illegible] में किसी व्यक्ति के साथ रहने से व इन सम्बन्धो से बच्चे पैदा हो जाने के आधार पर किसी को [illegible] पत्नी होने का दर्जा नही दिया जा सकता बल्कि कानून से इस प्रकार के सम्बन्धों को अवैध [illegible] उसके फलस्वरूप हुई किसी सन्तान को अवैध सन्तान होने का ही दर्जा दिया जा सकता है। [illegible] अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा मनोज कुमारी से पहली शादी के अस्तित्व में रहते दूसरी [illegible] मनोज कुमारी के साथ किये जाने के आधार जांच किये जाने के बाद आदेश संख्या [illegible] BN/SBB/SGJ/18/7975-90 दिनांक 20.05.2019 के द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को [illegible] सेवा से निष्कासित भी कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत [illegible] नम्बर 2 का आदेश दिनांक 20.12.2019 को निरस्त फरमाया जावे व निर्वाचन नामावली विधानसभा [illegible] (027) से मु0मनोज का नाम बतौर पत्नी सुनील कुमार हटाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल के न तो स्वयं उपस्थित और न ही उसकी ओर से [illegible] उपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट सं0 1 की विरूद्व प्रकरण मे एकपक्षीय सुनवाई की गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक [illegible] के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह [illegible] है। अदालत मातहत द्वारा मु0 मनोज कुमारी का नाम बाद [illegible] की निवासी होने पर जोडा [illegible] अपीलान्ट सुनिता ग्राम मालुपुरा मे निवास भी नही [illegible] है। अदालत मातहत का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 20.12.2019 [illegible] जाने का निवेदन किया।

[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध [illegible] बहस से जाहिर है कि अपीलान्ट की शादी दिनांक 23.11.2007 को हिन्दू रीति रिवाज से हुई [illegible] अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के बीच दिनांक 07.02.2015 को विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हुई। [illegible] रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने दूसरी शादी मनोज देवी के साथ दिनांक 01.05.2015 को की गई जिसका [illegible] प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भौडकी, प0स0 उदयपुरवाटी द्वारा जारी किया गया। अपीलान्ट [illegible] में रेस्पोडेन्ट सं0 1 के साथ ग्राम मालुपुरा मे नही रहती है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के साथ [illegible] पत्नि मनोज देवी ही उसके साथ ग्राम मालुपुरा मे रहती है। मतदाता सूची मे नाम जुडवाने के [illegible] नियमों के तहत आवेदक का भारतीय नागरिक होना एवं उस क्षेत्र मे निवास करना आवश्यक [illegible] मातहत द्वारा प्रकरण मे बाद जांच निर्वाचन नियमों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया [illegible] अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की [illegible] मातहत का आदेश दिनांक 20.12.2019 यथावत रखा जाता है। जहां तक रेस्पोडेन्ट सं0 2 [illegible] विधिविरूद्व करने का सवाल है उसके संबंध मे अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे वाद दायर [illegible] स्वतंत्र है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की [illegible] हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/04/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested